

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनु  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/155  
मुकदमा नम्बर 37/2025

दर्ज दिनांक— 27.03.2025

मनेश उर्फ मुनेश कुमार दूत पुत्र चुन्नीलाल दूत जाति जाट निवासी नवलडी, तहसील नवलगढ़  
जिला झुझुनु

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री महेश नारनोलिया  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 08.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम तोगडाकंला की सरहद में भूमि खाता सं. नया 327 पुराना 247 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 531 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 532 रकबा 1.17 है0, 534 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है0 तथा भूमि खाता सं. नया 119 पुराना 96 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 512 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 513 रकबा 3.50 है0, खसरा नं. 527 रकबा 2.59 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 528 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 529 रकबा 0.01 है0 खसरा नं. 530 रकबा 3.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनेश के स्थान पर मुनेश कुमार दूत पुत्र चुन्नीलाल दूत दर्ज व दुरुस्त किया जावे।

प्रकरण मे अनावेदक कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक /भू.अ./2025/8471 दिनांक 18.06.2025 पेश किया। जिसके अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुझुनू  
पीठासीन अधिकारी श्री जय सिंह (आर.ए.एस.)

जीसीएमएस नं. 2025/155  
मुकदमा नम्बर 37/2025

दर्ज दिनांक— 27.03.2025

मनेश उर्फ मुनेश कुमार दूत पुत्र चुन्नीलाल दूत जाति जाट निवासी नवलडी, तहसील नवलगढ़  
जिला झुझुनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : — श्री महेश नारनोलिया  
वकील अनावेदक :- पैरा. राज.

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

:: आदेश ::

निर्णय दिनांक 08.07.2025

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अध्या 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम तोगडाकंला की सरहद में भूमि खाता सं. नया 327 पुराना 247 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 531 रकबा 0.10 है, खसरा नं. 532 रकबा 1.17 है, 534 रकबा 0.10 है कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है तथा भूमि खाता सं. नया 119 पुराना 96 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 512 रकबा 0.04 है, खसरा नं. 513 रकबा 3.50 है, खसरा नं. 527 रकबा 2.59 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 528 रकबा 0.08 है, खसरा नं. 529 रकबा 0.01 है, खसरा नं. 530 रकबा 3.62 है के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनेश के स्थान पर मुनेश कुमार दूत पुत्र चुन्नीलाल दूत दर्ज व दुरुस्त किया जावे।


प्रकरण मे अनावेदक कि और से पैरो. राज. उपस्थित हो तहसीलदार नवलगढ़ कि रिपोर्ट क्रमांक /भू.अ./2025/8471 दिनांक 18.06.2025 पेश किया। जिसके अनुसार नाम दुरुस्त किया जाना उचित है।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगोर सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजों तथा तहसीलदार नवलगढ़ द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर आवेदक का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा आवेदक का प्रा. पत्र पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम तोगडाकंला की सरहद में भूमि खाता सं. नया 327 पुराना 247 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 531 रकबा 0.10 है0, खसरा नं. 532 रकबा 1.17 है0, 534 रकबा 0.10 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.37 है0 तथा भूमि खाता सं. नया 119 पुराना 96 के अन्तर्गत भूमि खसरा नं. 512 रकबा 0.04 है0, खसरा नं. 513 रकबा 3.50 है0, खसरा नं. 527 रकबा 2.59 रकबा 0.01 है0, खसरा नं. 528 रकबा 0.08 है0, खसरा नं. 529 रकबा 0.01 है0 खसरा नं. 530 रकबा 3.62 है0 के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम मनेश के स्थान पर मुनेश कुमार दूत पुत्र चुन्नीलाल दूत दर्ज व दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक /भू.अ./2025/8471 दिनांक 18.06.2025 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
( जय सिंह )RAS  
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ  
जिला-झुझुनू